

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमति रीता कुमारी पति श्री उमेश प्रसाद यादव, श्री ऋषिकेश कानितकर पिता श्री उमेश प्रसाद यादव, मानशी प्रिया पिता श्री उमेश प्रसाद यादव, श्रुति कुमारी पिता श्री संजय कुमार और प्रीति कुमारी पिता श्री संजय कुमार निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 48, 86, 84, 16, 22, 65 एवं 01; के अधीन प्लॉट सं. 775, 547, 547, 189, 425, 649, 806, 796, 697, 422/880, 47, 603, 676, 430, 334, 436, 590, 608, 44, 388, 389, 739, 334, 371, 44, 389, 388, 429, 591, 753, 765 एवं 516; कुल रकबा - 10.00 एकड़ रैयती एवं गैरमजूरवा भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।


क. उपर उल्लेखित खाता स. 48, प्लॉट न. 775 एवं 547 जिसका कुल रकबा 0.40 एकड़ एवं 0.20 एकड़ टाइटल सूट केश स. 380/64 दिनांक 30.11.1964 के द्वारा यमुना प्रसाद यादव पिता स्व. झबर महतो के द्वारा खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत नेहल गंडु वल्द जंगाली गंडु थे। उस खरीदगी को यमुना प्रसाद यादव पिता स्व. झबर महतो ने केवला स. 1491 दिनांक 24.03.2014 के द्वारा श्री उमेश प्रसाद यादव पिता यमुना प्रसाद यादव को बिक्री किया है।

ख. उपर उल्लेखित खाता स. 48, प्लॉट न. 547 जिसका कुल रकबा 0.17 एकड़ केवला स. 8637 दिनांक 14.07.1978 के द्वारा विनेश सिंह पिता स्व. हरिहर सिंह और सतीश कुमार पिता सिदेश्वर सिंह के द्वारा खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत नेहल गंडु वल्द जंगाली गंडु थे। उस खरीदगी को विनेश सिंह पिता स्व. हरिहर सिंह और सतीश कुमार पिता सिदेश्वर सिंह ने केवला स. 428 दिनांक 30.01.2016 के द्वारा श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम को बिक्री किया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 48, 86, 84, 16, 22, 65 एवं 01; के अधीन प्लॉट सं. 775, 547, 547, 189, 425, 649, 806, 796, 697, 422/880, 47, 603, 676, 430, 334, 436, 590, 608, 44, 388, 389, 739, 334, 371, 44, 389, 388, 429, 591, 753, 765 एवं 516; कुल रकबा - 10.00 एकड़ रैयती एवं गैरमजूरवा भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्रीमति रीता कुमारी पति श्री उमेश प्रसाद यादव, श्री ऋषिकेश कानितकर पिता श्री उमेश प्रसाद यादव, मानशी प्रिया पिता श्री उमेश प्रसाद यादव, श्रुति कुमारी पिता श्री संजय कुमार और प्रीति कुमारी पिता श्री संजय कुमार निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विश्वेश कुमार  
26/01/2021



27/08/2021 17:13